भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2120

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दवा कंपनियों द्वारा सभी दवाओं के लिए क्यूआर कोड अपनाना

†2120. श्रीमती रचना बनर्जीः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत क्यूआर कोड अपनाने वाली दवा कंपनियों की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा अन्य कंपनियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार की देश में सभी श्रेणियों की दवाओं के लिए अनिवार्य क्यूआर कोड लागू करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की दवाओं की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए क्यूआर कोड के उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): दिनांक 17.11.2022 को जी.एस.आर. 823(अ) के माध्यम से औषधि नियम, 1945 को संशोधित किया गया, जो 1 अगस्त, 2023 से प्रवृत्त हो गया है। इसमें प्रावधान है कि अनुसूची एच2 में निर्दिष्ट शीर्ष 300 ब्रांड के औषधि विनिर्माण उत्पादों के विनिर्माता अपने प्राथमिक पैकेजिंग लेबल पर या प्राथमिक पैकेज लेबल में अपर्याप्त स्थान की स्थिति में, द्वितीयक पैकेज लेबल पर, जो प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन द्वारा सुपाठ्य डेटा या जानकारी संग्रहीत करता है, बार कोड या क्विक रेस्पांस कोड मुद्रित करेंगे या चिपकाएँगे,

राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) को उक्त औषधि नियमों के तहत इसके प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सशक्त बनाया गया है और अनुपालन न होने की स्थिति में, एसएलए नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। एसएलए से उक्त अपेक्षा के अनुपालन की जाँच के लिए कड़ी निगरानी रखने का भी अनुरोध किया गया है।

(ख): अन्य औषधि विनिर्माण उत्पादों पर बार कोड या क्विक रेस्पांस कोड लगाने के प्रस्ताव पर 25.01.2024 को आयोजित 90वीं औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड ने चरणबद्ध तरीके से सभी टीका उत्पादों और सभी रोगाणुरोधी, मादक एवं नशीले द्रव्यों पर क्यूआर कोड के प्रावधान का विस्तार करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।

(ग): केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने अपनी वेबसाइट (https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/en/Notifications/Gazette-Notifications) पर इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित करके क्यूआर कोड संबंधी उक्त आवश्यकताओं को आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया है और उद्योग के संबंधित हितधारकों को इस संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाने की सलाह भी दी है।

इसके अतिरिक्त, सीडीएससीओ की वेबसाइट पर नकली दवाओं की पहचान और सत्यापन के लिए दिशानिर्देश भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें बार कोड या त्वरित प्रतिक्रिया कोड से पढ़ कर दवाओं की प्रामाणिकता सत्यापित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

******